



सत्यमेव जयते



IndianOil

समझौता ज्ञापन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

और

भारत सरकार

(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)

के बीच

2023-24

के लिए

मुख्य प्रतिलिपि

(5.10.2023)

समझौता-नापन निष्पादन मूल्यांकन मापदंड और लक्ष्य (वर्ष 2023-24)

क्र.सं.	मापदंड का नाम	यूनिट	अधिमान	लक्ष्य 2023-24
1	संचालन से राजस्व	रुपए करोड़ में	4	10,34,141
2	कच्चा तेल श्रुपट	एमएमटी	20	89,348
3	ईबीपी के अंतर्गत इथेनॉल सस्मिश्रण %	%	6	13.0
4	आरओ में सीएनजी स्टेशन चालू करना	संख्या	3	320
5	बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों या ईवी चार्जिंग स्टेशनों को चालू करना	संख्या	3	3438
6	पूँजीगत व्यय	रुपए करोड़ में	10	30,943
7	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	3	6.48
8	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	3	15.61
9	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	12	171.66
10	टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से निर्दिष्ट समय के भीतर माल और सेवाओं के चालान की कृति/अस्वीकृति	%	5	100
11	मंजूर प्रोक्योरमेंट प्लान के अनुसार जेम से खरीदी करना	%	2	100
12	पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले अनुसंधान/नवाचार पहलों पर खर्च में वृद्धि	%	5	10
13	शेयरधारकों को कुल प्रतिलाभ	%	15	100
14	बाजार बिक्री मात्रा की प्राप्ति	एमएमटी	9	106.08
		कुल	100	

टिप्पणः

1. लक्ष्य वित्त वर्ष 2022-23 की पूर्वानुमानों पर आधारित हैं और उन्हें मंजूर आंकड़ों के आधार पर संशोधन का विषय बनाया जाएगा।
2. प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई दृष्टि को भी तुलना के लिए मध्यांकन किया गया है।
3. पूँजीगत व्यय लक्ष्य - केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज (बयान 26) के अनुसार।
4. अनुसंधान/नवाचार पहलों पर खर्च के लक्ष्य की प्राप्ति की पुष्टि वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर की जानी चाहिए।
5. टीआरएस मापकों को बीएसई 500 सूची के साथ मध्यांकित किया जाएगा और मध्यांकित श्रेणि के अनुसार प्राप्ति के लिए समानुपातिक अंकन दिया जाएगा।
6. पैमाने पर 50% से 100% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समानुपातिक अंक। (टीआरएस पैमाने को छोड़ कर)
7. लक्ष्य के 50% से कम प्राप्ति के लिए कोई अंक नहीं।

2023-24 के लिए अनुपालन मापदंड

क्र.सं.	मापदंड	अंक	स्रोत/ सत्यापन
1.	समय-समय पर डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2.	निगम नियंत्रण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एल ओ डी आर) विनियम) के प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखा-परीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेनदेन (v) खुलासे और पारदर्शिता	-3	सीएजी/ सांविधिक/ सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट(टी) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3.	परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने पर नीति आयोग द्वारा दिया गया लक्ष्य	-1	नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4.	(i) वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 25%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5.	(ii) वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में अ.जा./अ.ज.जा. एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद- 4%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6.	(iii) वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद- 3%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
7.	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
8.	डीपीई ओएस संख्या डीपीई -7(4)/2007- वित्त दिनांक 04-05-2020 में निर्धारित टीआरडीएस के संबंधित प्रावधानों का पालन	-1	प्रशासनिक मंत्रालय

वर्ष 2023-24 का समझौता-ज्ञापन पर एतदद्वारा सहमति दी जाती है और अक्टूबर 2023 की 5 तारीख को हस्ताक्षर किए जाते हैं।

S.P. M. Vaid

श्रीकांत माधव वैद्य
अध्यक्ष

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक:

P. J.
पंकज जैन

सचिव, भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
दिनांक: